

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933—मार्च 27, 2011 <i>Chaitra 6, Sunday, Saka 1933—March 27, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (17)/विधि/2/2011.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 24 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 37 का संशोधन.**—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान शब्द “प्रत्येक” के पश्चात् और

विद्यमान शब्द "सदस्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "अध्यक्ष और" अन्तःस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-(1) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि उसे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाये, उस नगरपालिक क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत से गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परन्तु वापस बुलाये जाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव पर, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अन्त्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये जायें और संबंधित कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाये:

परन्तु यह और कि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध -

- (i) अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर-भीतर;
- (ii) किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि की आधी कालावधि यदि समाप्त न हुई हो तो

ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार आरंभ की जायेगी।

(2) कलक्टर, यथासंभव शीघ्रता के साथ किन्तु सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपना यह समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों ने वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, नगरपालिका की एक बैठक, जो चौदह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर बुलाई जायेगी, के लिए एक तारीख नियत करेगा, जिसकी

अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) यदि उस बैठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला संकल्प नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विहित रीति से पारित हो जाये और राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाये तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, उक्त निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए, ऐसी रीति से व्यवस्था करेगा जो विहित की जाये।

(5) उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, विहित रीति से किया और उस पर विचार किया जायेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस, किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 73 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि जहां कोई नगरपालिका विहित समूह आवासन या नगरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगरपालिक भूमि को पट्टे पर देती है, विक्रय करती है, आबंटित करती है या अन्यथा अन्तरित करती है तो ऐसा पट्टा, विक्रय, आबंटन या अन्तरण इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि ऐसी परियोजनाओं में भू-खण्डों या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और

निम्न आय समूह को कीमतों की पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, आबंटित किये जायेंगे।”।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।” हटायी जायेगी।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 88 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.-(1) नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

(2) जहां कोई नगरपालिका उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की फरवरी के अट्ठाइसवें दिवस को या उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों को उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगरपालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3) नगरपालिक निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य-आदेश या मंजूरी, अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय न तो अनुमोदित की जायेगी और न ही जारी की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या ऐसे कार्य-आदेश या मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यय के लिए संयुक्ततः और पृथकतः उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलीय होगा।”।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 89-क का अंतःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“89-क. नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन.-

(1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी, जिसे इस धारा में आगे “निधि” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसा प्रतिशत, जो किसी नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्नित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जायेगा और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है व्यपगत नहीं होगी और निधि में जमा की जायेगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(3) निधि में निम्नलिखित नगरपालिक बजट संसाधनों में से आबंटन किया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोत, जैसे कि कर, फीस, उपयोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि;
- (ख) समनुदेशित राजस्व;
- (ग) केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों से आबंटन और अन्य अन्तर-सरकारी अन्तरण;
- (घ) गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टियों, संगठनों या अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं में अभिदाय या दान;
- (ङ) बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं से अनुदान;
- (च) नगरपालिक आस्तियों का विक्रय; और
- (छ) अन्य स्रोत जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जायें।

(4) निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी जिसे 'नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि' के नाम से जाना जायेगा।

(5) निधि-लेखों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक् प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जायेंगी।

(6) नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जायेगा और पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिक बजट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिक निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखापरीक्षा से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए -

- (i) नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो अनन्य रूप से गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए है, उपर्युक्त चिह्नित निधियों का भाग नहीं होगा; और

(ii) 'आधारभूत सेवाओं' में जलप्रदाय, जल-निकास, मलवहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सावर्जनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्षतः उपगत पूंजी और राजस्व खाते पर व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी, जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः उपगत न हुई हो, सहित स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 102 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) में,-

- (क) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द "भवनों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "पर कर" के पूर्व अभिव्यक्ति "चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाये," अंतःस्थापित की जायेगी; और
- (ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित" हटायी जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 103 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (1) के खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आधे प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 में,-

- (क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दिया हो”; और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 161 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 161 में, विद्यमान शब्द “नगरपालिका” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राज्य सरकार” प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 282 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 282 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (द) में, विद्यमान शब्द “या” हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान विराम चिन्ह “,” के पश्चात् शब्द “या” जोड़ा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (न) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(न) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित कोई भी अन्य क्रियाकलाप,”।

13. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 331 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 331 हटायी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 01) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (17) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 2) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES

(AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 2 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 24th November, 2010.

2. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing word "Every" and before the existing word "member", the expression "Chairperson and" shall be inserted and for the existing expression "the Collector or

his nominee”, the expression “an officer authorised by the State Government by a general or special order” shall be substituted.

3. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“53. Recalling of Chairperson and motion of no confidence against Vice-Chairperson.- (1) Every Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Members and presented to the Collector concerned:

Provided further that no such motion shall lie against a Chairperson-

- (i) within two years of the assumption of office by the Chairperson;
- (ii) if half of the period of tenure of the Chairperson elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Chairperson shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector shall, after satisfying himself and verifying as expeditiously as possible but within a period of seven days that the three-fourth of the Members specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, fix a date for a meeting of the Municipality to be held within a period of fourteen days, which shall be presided over by an officer not below the rank of an Additional Collector nominated by him.

(3) If a resolution expressing no confidence in the Chairperson is passed in that meeting, in the prescribed manner, by a majority of three-fourth of the elected Members of the Municipality and communicated to the State Government, the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(4) On receipt of the said reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.

(5) Motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(6) No notice of motion under sub-section (5) shall be made within two years of the assumption of office by a Vice-Chairperson.

(7) If a motion under sub-section (5) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.”.

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that where a Municipality leases out, sells, allots or otherwise transfers any municipal land for carrying out prescribed group housing or township projects, such lease, sale, allotment or transfer shall be made subject to the condition that at least twenty per cent of plots or housing units in such projects shall be allotted to the persons belonging to such Economically Weaker Section and Low Income Group at such concessional rates

through cross subsidization of prices as may be notified by the State Government.”.

5. Amendment of section 87, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 87 of the principal Act, the existing expression “However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee.” shall be deleted.

6. Amendment of section 88, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 88 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“88. Sanction of budget estimate of Municipality.- (1)

The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) Where a Municipality fails to pass the budget estimates according to the provisions of sub-section (1), it shall be mandatory for the Chief Municipal Officer to prepare the budget estimates and submit the same on or before twenty eighth day of February of that year to the State Government. The State Government shall approve the budget estimates with or without modifications and the same shall be deemed to have been passed by the Municipality.

(3) Any work order or sanction regarding any expenditure out of the Municipal Funds shall neither be approved nor be issued in the absence of proper provision in the approved budget, except in cases where a specific

approval has been obtained from the State Government. In case of any violation the Chairperson, the Chief Municipal Officer or any other officer authorised to issue such work order or sanction shall be jointly and severally responsible for such expenditure and the same shall be recoverable from them.”.

7. Insertion of section 89-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After section 89 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“89-A. Constitution of Basic Services to the Urban Poor Fund.- (1) Every Municipality shall constitute a fund called the Basic Services to the Urban Poor Fund, hereinafter in this section referred as ‘the fund’, for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

(2) Such per cent, not being less than twenty five per cent, of yearly budget grants of a Municipality as may be prescribed by the State Government shall be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality and any amount which remains unutilized in the current year shall not lapse and be credited to the fund and shall be available to be utilized in next year in addition to the budget grants of that year.

(3) The allocation to the fund shall be made from the following municipal budget resources, namely:-

- (a) Municipality’s own sources of revenue like taxes, fees, user charges, rent, etc.;
- (b) assigned revenues;
- (c) allocations from Central or State Finance Commissions and other inter-governmental transfers;

- (d) contributions, in cash or kind, or gifts from individuals, organizations or other donors for services to the poor;
- (e) grants from externally aided projects;
- (f) sale of municipal assets; and
- (g) other sources as determined by the Municipality.

(4) The fund shall be kept in a separate bank account opened with a nationalized bank to be called 'Basic Services to Urban Poor Fund' account.

(5) There shall be maintained separate primary books of accounts with detailed accounting heads in line with the National Municipal Accounting Manual for operation of the fund accounts.

(6) The allocation of the funds and its utilization for providing basic services to the urban poor shall be detailed and enclosed with the municipal annual budget alongwith corresponding figures of the previous year.

(7) Save as provided in this section, provisions of this Act relating to operation of Municipal Fund and accounts and audit thereof shall apply *mutatis mutandis* to the fund constituted under this section.

Explanation.- For the purpose of this section-

- (i) any grant or contribution by whatever name called, received by the Municipality which is exclusively for the development of slum areas shall not be a part of the above earmarked funds; and
- (ii) 'basic services' shall include expenditure on capital and revenue account directly incurred on water supply, drainage, sewerage, construction of community toilets, solid waste management, connecting roads, street lighting, public parks

and play grounds, community and livelihood centers, community health centers, pre-primary and primary education centers, affordable housing for poor and other services as determined by the Municipality but shall not include establishment expenses, including salary and wages, nor directly and specifically incurred for delivery of basic services to the poor.”.

8. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In sub-section (1) of section 102 of the principal Act,-

- (a) in clause (a) after the existing word “buildings” and before the existing word “situated”, the expression “called by whatever name” shall be inserted; and
- (b) in clause (c), the existing expression “owned by, or built from the funds of, the Municipality” shall be deleted.

9. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In clause (ix) of sub-section (1) of section 103 of the principal Act, for the existing expression “half per cent”, the expression “ten per cent ” shall be substituted.

10. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In section 122 of the principal Act,-

- (a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) twenty five per cent of the amount so claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office.”; and
- (b) the existing proviso shall be deleted.

11. Amendment of section 161, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In section 161 of the principal Act, for the existing word “Municipality”, the expression “State Government” shall be substituted.

12. Amendment of section 282, Rajasthan Act No. 18 of**2009.-** In sub-section (1) of section 282 of the principal Act,-

- (a) in clause (r), the existing word “or” shall be deleted;
- (b) in clause (s), after the existing punctuation mark “,” the word “or” shall be added; and
- (c) after clause (s), so amended, the following new clause (t) shall be added, namely :-

“(t) any other activity prescribed by the State Government from time to time,”.

13. Amendment of section 331, Rajasthan Act No. 18 of**2009.-** The existing section 331 of the principal Act shall be deleted.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.